

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर)

उमराव बन्साल उमराव ११७  
 उमराव मुकदमा नं. १४१/१९१७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२४/६/१९	वकील पूर्ण उर्फ मूल पक्ष के स्टाफ कि २०/४/१९ को पेश हो। लखनऊ I.E. एक्ट की वारंटि/र
२०/४/१९	पत्रावली पेश हुई। इस पत्रावली के सम्बन्धित मूल पक्ष, डाकम, हान्डीय डाकम पत्रावली में शामिल हो चुका है। अतः इस का पत्र को शान्त धराने का कोस हो चला है। का. पत्र २१२ R.T. Act रद्दी स्टाफ एक्ट किता जाया है। जिसल फेराल सुम्मा हेम वम्मा से पत्र की जाया पत्र (वकील) ३१/२/१९ रपता है। र

उपखण्ड अधिकारी  
 थानागाजी (अलवर)